

सं.0746/हि.क./रा.भा./आदेश/परिपत्र/3  
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,  
उलन बटार रोड, पालम,  
दिल्ली छावनी -10  
दिनांक: 06.04.2014

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/  
प्रधान लेखा नियंत्रक(फै.)


विषय : कागज़ की बचत करने के संबंध में ।

\*\*\*\*\*

प्रायः यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण प्रकृति के पत्र न होते हुए भी उन्हें फैंक्स कर दिया जाता है और उनकी प्रतियां डाक द्वारा भी प्रेषित कर दी जाती हैं। इससे सरकारी कागज़ का दुरुपयोग तो हो ही रहा है साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में रक्षा लेखा महानियंत्रक महोदया ने सरकारी कागज़ों का दुरुपयोग न करने के निदेश भी दिए हैं।

अतः अनुरोध है कि महानियंत्रक महोदया द्वारा दिए गए अनुदेश के अनुपालन में जब तक आदेश/निदेश न दिया जाए रिपोर्ट/पत्र आदि फैंक्स द्वारा न भेजे जाएं। यदि फैंक्स भेजा गया है तो उसकी डाक प्रति प्रेषित न की जाए। कृपया कागज़ की दोनों साइड का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए।

कृपया पावती दें।

  
(प्रदीप कुमार राय)

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक(प्रशा.)